<u>माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर</u>

क्र.12/मान्यता/2001-2002 **रायपुर, दिनांक 19/12/2001**

<u>निर्देश</u>

माध्यामिक शिक्षा मंडल विनियम 94 के विनियम सात एवं अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत निम्नुसार मापदण्डों के अनुरुप अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में सामान्य तौर पर मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है । इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. भूमि

1. संस्था की भूमि एवं भवन स्वयं के स्वामित्व के होना चाहिये ।

2. यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वंय की स्वामित्व की भूमि नहीं है तो भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्य योजना प्रस्तुत करना होगा ।

3. संस्था को प्रस्तुत कार्य योजना का तीन वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा।

4. संस्था के पास अपने स्वामित्व की कम से कम दो एकड़ भूमि होना चाहिए ।

5. यदि संस्था में कुल छात्र 1500 से अधिक हैं या प्रस्तावित है तो कम से कम 3 एकड़ भूमि होना आवश्यक है ।

6. यदि शाला राजधानी/शहर में घनी बस्ती में है तो शाला परिसर कम से कम एक एकड़ में हो और छात्र-छात्राओं के खेलकूद की गतिविधियों के लिए निकटतम दूरी पर कोई खेलकूद का मैदान होना चाहिये ।

7. अस्थाई व्यवस्था में भी कम से कम 1/2 एकड़ खुली भूमि खेल के लिए अनिवार्य रुप से ह□ ।

2. भवन

शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल हाईस्कूल के लिए न्यूनतम 2000 वर्गफीट व हायर सेकेण्डरी के लिए 2600 वर्गफिट ह□ना अनिवार्य है । यदि संस्था प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की कक्षाएँ चला रही ह□ त□ न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट ह□ना चाहिये । शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षों का ह□ना अनिवार्य है :-

(अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ, पुस्तकालय व प्रय□गशाला (हाई स्कूल) के लिए एक-एक कक्ष अर्थात् 5 कक्ष।

(ब) केवल हाई स्कूल के लिए कक्षाएँ 2 कक्षकुल 7 कक्षा (न्यूनतम)

1. यदि संस्था क□ हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के लिए मान्यता लेता है त□ विज्ञान संकाय के लिए तीन कक्ष प्रय□गशाला हेतु अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक ह□गा ।

2. जितने सकाय एवं सेक्शन ह□गे, प्रत्येक सेक्शन के लिए एक-एक कक्ष निर्माण कराना ह□गा।

3. 45 छात्रों तक के लिए एक कक्ष, उससे अधिक संस्था ह□ने पर प्रत्येक 45 छात्रों के लिए एक-एक कक्ष का अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक ह□गा ।

4. एक सेक्शन में अधिक से अधिक 45 छात्र और कम से कम 15 छात्र ह□ना आवश्यक है ।

5. छात्र-छात्राओं की पाठ्यतेत्तर गतिविधियों के लिए भवन में एक बरामदा या हाल ह□ना आवश्यक है जहाँ संस्था के कार्यक्रमों क□ आय□जित किया जा सके ।

6. बड़ी एवं शहरी क्षेत्र की संस्थाओं में अध्यापनकक्षों का निर्माण इस प्रकार ह कि प्रत्येक छात्र क 8 वर्गफुट स्थान मिल सके । कस्बाई क्षेत्र में 6 वर्गफुट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 वर्गफुट स्थान मिलना सुनिश्चित ह ।

7. यदि संस्था प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल चलाती है त उन छात्रों की संख्या के अनुपात में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था हानी चाहिए या द पाली में चलाने पर उतने अनुपात में कक्षाएँ हानी चाहिये ।

8. भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रमाणित हाना चाहिए ।

3. पेयजल व्यवस्था

संस्था क शुद्ध एवं शीतल पेय जल की व्यवस्था कराना अनिवार्य है । शहरी क्षेत्र में खास तौर से नगर निगम क्षेत्र में, फिल्टर किया हुआ एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था ह । ग्रामीण क्षेत्र में ढंका हुआ शुद्ध पेयजल या नलकूप भी मान्य किया जा सकता है ।

4. पुस्तकालय

1. संस्था के पुस्तकालय में, पाठ्य पुस्तकों क छाड़कर शहरी क्षेत्र में कम से कम 3 पुस्तकें प्रति छात्र और ग्रामीण क्षेत्र में एक पुस्तक प्रति छात्र ह । पुस्तकालय के रख रखाव के लिए लायब्रेरी अटेन्डेन्ट ह तथा छात्र-छात्राओं क लायब्रेरी कार्ड पर पुस्तकें ईश्यू करने की सुविधा उपलब्ध ह । ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य किसी शिक्षक क भी सौंपा जा सकता है ।

2. छात्र-छात्रायें, लायब्रेरी के कक्ष में बैकर पत्र-पत्रिकायें पढ़ सकें, इस हेतु स्थान एवं फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था ह ।

5. प्रयोगशाला

1. हाई स्कूल तक के छात्रों के लिए प्रयोगशाला का एक कक्ष होना आवश्यक है जिसमें छात्रों के अध्यापन कार्य में अध्ययन हेतु शामिल किये गये सभी उपकरण उपलब्ध हो जिनका अवलोकन कराकर अध्यापन कार्य कराया जा सके । इसमें पर्यावरण से संबंधित, मानव आकृति से संबंधित सामग्री विशेष रुप से रखी जावे ।

2. हायर सेकेण्डरी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीवन विज्ञान की पृथक-पृथक प्रयोगशाला होना आवश्यक है । प्रयोगशाला में इतना स्थान होना चाहिए जहां मेज के सामने खड़े होकर प्रयोग संपादित कर सकें ।

अ- भौतिक शास्त्र फिजीकल बैलेंस, प्रिज्म, गुटका, चुम्बकीय सुई, मीटर ब्रिज पोस्ट ऑफिस बाक्स, उत्तल, अवतल, लैंस / मिरर, चुम्बक, पेंडुलम, वर्नियर कैलीपर्स, स्फेरोमीटर, गैल्वनोमीटर, स्क्रूगेज, एमीटर, ओम्स ला जैसे उपकरणों की समुचित व्यवस्था हो ।

ब- रसायन शास्त्र में एसिड रेडीकल्स एवं बेसिक रेडीकल्स ज्ञात करने के लिए परीक्षण हेतु आवश्यक सामग्री हो । टाईट्रेशन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्युरेट, पिपेट, कोनीकल फलास्क, ट्यूब्स, व्यूरेट स्टेण्ड, फनल्स और बीकर्स की व्यवस्था हो ।

स- कार्डेडा एवं नान कार्डेटा समूह के प्रत्येक फेमिली के स्पेसीमेन्स हो, जिनका छात्रों को अवलोकन कराया जा सके तथा डाईकाट एवं माइक्रो काट पौंधों के तनों के स्लाईड देखने हेतु माइक्रो स्कोप की व्यवस्था हो ।

3. हाई स्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला के लिये संपादित करने हेतु एक लेब अस्सिटेंट की व्यवस्था हो परंतु हायर सेकेण्डरी प्रयोगशालाओं के लिए पृथक-पृथक लेब अस्सिटेंट की समुचित व्यवस्था हो ।

6. खेल का मैदान

संस्थाओं में कम से कम द□ खेलों के ग्राउण्ड की व्यवस्था करना ह□गी, जैसे हॉकी, फुटबाल, बालिबॉल, बैटमिंटन इत्यादि । शहरी क्षेत्रों में संस्थाओं क□ इन्डो□ गेम्स के लिए भी व्यवस्था करना अनिवार्य है । संस्थाओं में भवन से लगे हुए खेल मैदान नहीं हैं उनमें निकटतम दूरी पर खेल का मैदान की तलाश कर छात्रों क□ खेल की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक ह□गा ।

7. प्रसाधन

संस्था के छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए । यथासंभव स्टॉफ के लिए पृथक टॉयलेट की व्यवस्था ह□ । जिस संस्था में 100 से अधिक छात्र-छात्रायें हैं वहाँ प्रति 100 छात्र पर एक-एक अतिरिक्त टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए । इसकी साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था भी कराना आवश्यक ह□गा ।

8. टीचिंग स्टॉफ

हायर सेकेण्डरी स्कूल में एक ही संकाय के छात्रों क□ पाढ़ाने के लिए कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता ह□ना चाहिए । इस प्रकार 5 व्याख्यता ह□ना आवश्यक है । एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ ह□ने पर प्रति संकाय 3 संबंधित विषय के व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाये । जहाँ 4 से अधिक सेक्शन हैं वहां संबधित विषय के द□-द□ व्याख्याताओं की व्यवस्था की जाये । इसी प्रकार हाई स्कूल में 6 शिक्षकों का ह□ना आवश्यक है और यह ध्यान रखा जाये कि प्रति सेक्शन 1 शिक्षक/व्याख्याता के अनुपात में नियुक्तियाँ की जाये ताकि अध्यापन का कार्य सुचारु रुप से संपन्न ह□ सके ।

9. फर्नीचर व्यवस्था

स्टॉप व कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं क लिए भी कक्षाओं में फर्नीचर ह□ना चाहिए । यह मेट / कुर्सी अथवा डेस्क / बैंच ह□ सकते हैं ।

10. विद्युत व्यवस्था

जिन स्थानों में बिजली है वहाँ की शालाओं में बिजली व पंखों की पूर्ण व्यवस्था हनी चाहिये ।

11. वित्तीय व्यवस्था

संस्था क वित्तीय व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट विवरण देना हगा कि उनकी संस्था में प्रति वर्ष हुए व्यय की आपूर्ति किन-किन आय स्त्नों से की गई है, के विवरण मदवार दिये जायें । संस्था क यह सुनिश्चित करना आवश्यक हगा कि संस्था के खाते में इतनी राशि उपलब्ध है कि वह आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों क कम से कम तीन माह का वेतन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके |

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/13/मान्यता/2001-2002/ **रायपुर, दिनांक 19/12/2001**

प्रतिलिपि:

1. माननीय मंत्री, शालेय शिक्षा के निजी सचिव की ओर सूचनार्थ ।

2. माननीय राज्य मंत्री, शालेय शिक्षा के नीजी सचिन की ओर सूचनार्थ ।

3. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग / प्रमुख सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

4. आयुक्त/लक्ष शिक्षण / आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ।

5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ।

6. अतिरिक्त सचिव / पंजीयक (परीक्षा)/सहायक सचिव, मान्यता मान्यता छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

7. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की ओर भेजकर सूचित किया जाता है कि छात्र / छात्रओं क मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उपरक्तानुसार न्यूनतम मापदंड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जा रहे हैं । कृपया सुनिश्चित करने के उपरक्त मापदण्डों के अनुसार संस्था का संचालन किया जा रहा है । ऐसा न हने पर आगामी वर्ष की मान्यता पर विचार किया जाना संभव नहीं ह सकेगा ।

सचिव,

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर